To Regularize the MPHW

103 Sh. BALRAJ KUNDU (Mehem) :

Will the Health Minister be pleased to state whether there is any policy under consideration of the Government to regularize the 1540 MPHW employees working since the year 2006 on the basis of their experiences?

Reply

Anil Vij, Health Minister Haryana

No, Sir.

Statement in reference to Un-Starred Question No. 14/16/510

The National Health Mission (NHM) was launched by Govt. of India in 2005. It was further extended in March, 2018 to continue until March, 2020 and subsequently, extended till 2026.

The National Health Mission (NHM) is a project being run by the Government of India and the Haryana Govt. with funds sharing pattern at 60:40 ratio respectively. Haryana is the only state which has provided/granted the benefit of Service Bye Laws to all contractual employees in the Jan, 2018. As per the provision in Service Bye Laws, all contractual employees have been given the benefit of Medical Allowance from the date of joining, DA on the completion of 5 years continuous satisfactory service and HRA on the completion of 10 years continuous satisfactory service.

In addition to above, National Health Mission (NHM) provides the benefit of Financial Compassionate Assistance of Rs. 3 lacs to the family of deceased employees. The other benefits like Maternity Leave, Paternity Leave, Abortion Leave, Child Adoption Leave, Medical Leave & Causal Leave are also being provided to all NHM contractual employees.

Nevertheless, National Health Mission (NHM) is the centre Govt. project extended by Govt. of India from time to time. So, it is not in the purview of the Haryana Govt. to regularize NHM employees. So, at present, there is no policy under the Haryana Govt. consideration to regularize 1540 MPHW employees.

बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित करना

103 श्री बलराज कुंडू (महम):

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या वर्ष 2006 से कार्यरत 1540 बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों को उनके अनुभवों के आधार पर नियमित करने की कोई नीति सरकार के विचाराधीन है?

जवाब

अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा

नहीं, श्रीमान जी।

अतारंकित प्रश्न संख्या 14/16/510 के संदर्भ में व्यक्तव्य

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) भारत सरकार द्वारा 2005 में शुरू किया गया था जिसे मार्च, 2018 में आगे बढ़ाकर मार्च, 2020 तक जारी रखा गया और बाद में, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा क्रमशः 60:40 अनुपात पर फंड शेयरिंग पैटर्न के साथ चलाई जा रही एक परियोजना है। हरियाणा एकमात्र राज्य है जिसने जनवरी, 2018 में सभी संविदा कर्मचारियों को सेवा नियमों का लाभ प्रदान किया है। सेवा नियमों के प्रावधान के अनुसार, सभी संविदा कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता ज्वाइनिंग से, 5 साल की लगातार संतोषजनक सेवा पूर्ण होने उपरांत डीए का लाभ और 10 साल की लगातार संतोषजनक सेवाएं पूर्ण होने उपरांत एचआरए का लाभ दिया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के द्वारा मृत कर्मचारियों के आश्रित परिवार को 3 लाख रुपये की वित्तीय अनुकंपा सहायता का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य लाभ जैसे कि मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, गर्भपात अवकाश, बाल दत्तक ग्रहण अवकाश, चिकित्सा अवकाश और आकस्मिक अवकाश भी सभी एनएचएम संविदा कर्मचारियों को प्रदान किए जा रहे हैं।

फिर भी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) केंद्र सरकार की एक परियोजना है जो कि समय–समय पर भारत सरकार के द्वारा बढ़ाई जाती है। इसलिए, एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करना हरियाणा सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसलिए, वर्तमान में, हरियाणा सरकार के अधीन 1540 एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों को नियमित करने की कोई नीति विचाराधीन नहीं है।